

1. नांक

आज्ञा पत्र

24.8.21

पत्रावली पेश। प्रकरण में रिकॉर्ड की तारीख शेष है। इस हेतु अपीलान्त शेष रिकॉर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश नहीं कर पाएंगे। ताकि अपील का शीघ्रतरी निर्णय किया जा सकें पत्रावली वास्ते उलबी रिकॉर्ड दिनांक 24.11.21 को पेश हों।

S

24.11.21

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूरा आज्ञानुसार दिनांक 24.11.21 को पेश हो

15.1.22

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूरा आज्ञानुसार दिनांक 20.1.22 को पेश हो

28.4.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेसपो. उपस्थित पीठारक्षक अधिकारी महोदय आज 28.4.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 28.4.22 को पेश हो।

26.7.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेसपो. उपस्थित पीठारक्षक अधिकारी महोदय आज 26.7.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 26.7.22 को पेश हो।

14.10.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेसपो. उपस्थित पीठारक्षक अधिकारी महोदय आज 14.10.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 14.10.22 को पेश हो।

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

Not. Rev. G. S. Singh

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प सुन्डान)